



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 14 अगस्त, 1975

श्रावण 23, 1897 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3068/सत्रह-वि-1-89-75

लखनऊ, 14 अगस्त, 1975

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल 56 (संशोधन तथा बंधीकरण) विधेयक, 1975 पर दिनांक 13 अगस्त, 1975 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1975 ई० के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल 56 (संशोधन तथा बंधीकरण) अधिनियम, 1975

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1975]

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

फण्डामेंटल रूल 56 का अग्रतर संशोधन करने तथा सिविल सेविस रेगुलेशन्स में परिणाम स्वरूप संशोधन करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूल 56 (संशोधन तथा बंधीकरण) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2--फाइनेन्शियल हैंडबुक, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेंटल रूलस के समय-समय पर यथासंशोधित नियम 56 (जिसे आगे उक्त नियम 56 कहा गया है) में,—

फण्डामेंटल रूल 56 का संशोधन

- (1) खंड (क) के वर्तमान परन्तुकों व उनके स्पष्टीकरणों को निकाल दिया जाय;
- (2) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रख दिये जाय, अर्थात्:--

“(ग) खंड (क) या (ख) में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी ही अथवा अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताये उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा-निवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है, या ऐसा सरकारी सेवक पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या बीस वर्ष की अर्ह सेवा पूरी कर लेने पर किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छया सेवा-निवृत्त हो सकता है।

(घ) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) किसी ऐसे सरकारी सेवक को पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से, ऐसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर तत्काल सेवा-निवृत्त किया जा सकता है, और ऐसी सेवा-निवृत्ति पर सरकारी सेवक, नोटिस की अवधि के लिये था, यथास्थिति, ऐसी नोटिस तीन मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, की धनराशि के बराबर धन का दावेदार होने का हकदार होगा जिस दर पर वह उनके अपनी सेवा-निवृत्ति के ठीक पहले पा रहा था।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह किसी सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना या अल्पावधि की नोटिस पर, और नोटिस के बदले में उससे किसी शास्ति का भुगतान करने की अपेक्षा किए बिना, सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दे सकता है :

अपेक्षित प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सरकारी सेवक द्वारा, जिसके विरुद्ध, अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या आसन्न हो, दी गई नोटिस तभी प्रभावी होगी जब वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली जाय, किन्तु किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति के पूर्व दे दी जायगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि स्वेच्छया सेवा निवृत्त होने के लिए खंड (ग) के अधीन सरकारी सेवक द्वारा एक बार दी गई नोटिस उसके द्वारा, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, वापस नहीं ली जा सकेगी।

(ङ) प्रत्येक सरकारी सेवक को जो इस नियम के अधीन सेवा-निवृत्त होता है या जिससे सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवा-निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाती है, सुसंगत नियमों के अनुसार और उनके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, सेवा-निवृत्ति-पेंशन देय होगी और सेवा-निवृत्ति संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे।

स्पष्टीकरण—(1) नियुक्ति प्राधिकारी खंड (ग) के अधीन उसमें यथा विनिर्दिष्ट सेवा-निवृत्ति के लिए सरकारी सेवक से अपेक्षा करने का निर्णय उस प्राधिकारी के द्वारा यह बात लोक हित में प्रतीत होने पर लगा, किन्तु यहाँ पर दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि आदेश में इसका उल्लेख करने की अपेक्षा की गई है कि ऐसा निर्णय लोक हित में लिया गया है।

(2) प्रत्येक ऐसा निर्णय, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, लोक हित में लिया गया उपधारित किया जायगा।

(3) पद "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है जिले ऐसे पद पर या सेवा में, जिससे सेवा-निवृत्त होने की अपेक्षा सरकारी सेवक से की गई हो या सरकारी सेवक सेवा-निवृत्त होना चाहता हो, मौलिक नियुक्ति करने की तत्समय शक्ति प्राप्त हो और पद "अर्ह सेवा" का वही अर्थ होगा जो सेवा-निवृत्ति-पेंशन से सम्बन्धित सुसंगत नियमों में दिया हो।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश, जिसमें सरकारी सेवक से इस नियम के खंड (घ) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन तत्काल सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की गई हो, जारी किये जाने के दिनांक के अपराह्न से प्रभावी होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसके जारी किये जाने के पश्चात् सम्बद्ध सरकारी सेवक सदाशयता से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके कार्यों को, इस तथ्य के होते हुए भी कि वह पहले ही सेवा-निवृत्त हो गया, विधिमान्य समझा जायगा।"

3—उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के लिये यथा अंगीकृत सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आर्टिकल 465 और 465-ए एतद्वारा विरहित किये जाते हैं, सिवाय उन बातों के जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व तदधीन की गई हों या अकरित हो।

सिविल सर्विस
रेगुलेशन्स के
आर्टिकल 465
तथा 465-ए का
विलुपणन

अधिनियम के
प्रारम्भ होने के
पूर्व जारी किये
गये आदेशों पर
लागू होना

4—(1) यदि 1 नवम्बर, 1973 को या उसके पश्चात् उक्त नियम 56 के खंड (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन या सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आर्टिकल 465 के नोट 1 के अधीन या आर्टिकल 465-ए के नोट 1 के अधीन कोई आदेश दिया गया हो या दिया जाना अभिप्रेत हो जिसमें किसी सरकारी सेवक से बिना नोटिस के या तीन मास से कम अवधि की नोटिस पर सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की गई हो तो यदि ऐसे सरकारी सेवक को उक्त तीन मास की सम्पूर्ण अवधि या उसके भाग के लिये वेतन पहले ही नहीं दे दिया गया हो तो वह तीन मास की पूरी अवधि के लिये था, यथास्थिति, नोटिस तीन मास से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते की, यदि कोई हो, धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने का हकदार होगा जिस दर पर वह ऐसे आदेश के दिनांक के ठीक पहले पा रहा था।

(2) संवैहों को दूर करने के लिये, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उक्त नियम 56 या उक्त रैगुलेशन्स या उस निमित्त किसी आदेश या अनुदेश की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि आदेश द्वारा अपेक्षित सेवा-निवृत्ति के पूर्व या साथ-साथ नोटिस की सम्पूर्ण अवधि या उसके भाग के लिये सरकारी सेवक को वस्तुतः भुगतान करने की अपेक्षा कभी भी की गई है, और ऐसा भुगतान न करने से आदेश की विधि मान्यता पर न तो कोई प्रभाव पड़ेगा और न कोई प्रभाव कभी पड़ा हुआ समझा जायगा, भले ही किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कोई प्रतिकूल बात दी हो, और राज्य सरकार चाहे तो वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन मास के भीतर किसी ऐसे निर्णय, डिक्री या आदेश के पुनर्विलोकन के लिये किसी न्यायालय को आवेदन कर सकती है।

(3) शासनादेश संख्या 5/2/1973 नियुक्ति (3). दिनांक 2 नवम्बर, 1973 उसी दिनांक से निरस्त हुआ समझा जायगा, व सेवा-निवृत्ति का कोई आदेश इस आधार पर अवैध नहीं समझा जायगा या कभी अवैध हुआ नहीं समझा जायगा कि वह उक्त शासनादेश से असंगत है।

5--(1) उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल 56 (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम 7 जून, 1975 को प्रवृत्त हो गया था।

निरसन तथा अपवाद

No. 3068 (2) /XVII-V-1-89-75

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Sanshodhan Tatha Vaidhikaran) Adhinyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 24 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature assented to by the Governor on August 13, 1975 :

THE UTTAR PRADESH FUNDAMENTAL RULE 56 (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1975

[U. P. ACT NO. 24 OF 1975]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN ACT

further to amend Fundamental Rule 56 and to make consequential amendments in the Civil Service Regulations and to provide for matters connected therewith.

It is HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :

- 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Amendment and Validation) Act, 1975. Short title.
- 2. In rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules, published in the Financial Handbook, Volume II, Parts II to IV, as amended from time to time, hereinafter referred to as the said rule 56,— Amendment of Fundamental Rule 56.
 - (i) the existing provisos to clause (a) and their Explanations shall be omitted ;
 - (ii) after clause (b) the following clauses shall be inserted, namely :—
 - “(c) Notwithstanding anything contained in clause (a) or clause (b), the appointing authority may, at any time, by notice to any Government servant (whether permanent or temporary), without assigning any reason, require him to retire after he attains the age of fifty years or such Government servant may by notice to the appointing authority voluntarily retire at any time after attaining the age of fifty years or after he has completed qualifying service for twenty years

(d) The period of such notice shall be three months :

Provided that—

(i) any such Government servant may by order of the appointing authority, without such notice or by a shorter notice, be retired forthwith at any time after attaining the age of fifty years, and on such retirement the Government servant shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances, if any, for the period of the notice or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of three months, at the same rates at which he was drawing immediately before his retirement ;

(ii) it shall be open to the appointing authority to allow a Government servant to retire without any notice or by a shorter notice without requiring the Government servant to pay any penalty in lieu of notice :

Provided further that such notice given by the Government servant against whom a disciplinary proceeding is pending or contemplated, shall be effective only if it is accepted by the appointing authority, provided that in the case of a contemplated disciplinary proceeding, the Government servant shall be informed before the expiry of his notice that it has not been accepted :

Provided also that the notice once given by a Government servant under clause (c) seeking voluntary retirement shall not be withdrawn by him except with the permission of the appointing authority.

(e) A retiring pension shall be payable and other retirement benefits, if any, shall be available in accordance with and subject to the provisions of the relevant rules to every Government servant who retires or is required or allowed to retire under this rule.

Explanation— (1) The decision of the appointing authority under clause (c) to require the Government servant to retire as specified therein shall be taken if it appears to the said authority to be in the public interest, but nothing herein contained shall be construed to require any recital, in the order, of such decision having been taken in the public interest.

(2) Every such decision shall, unless the contrary is proved, be presumed to have been taken in the public interest.

(3) The expression 'appointing authority' means the authority which for the time being has the power to make substantive appointments to the post or service from which the Government servant is required or wants to retire ; and the expression 'qualifying service' shall have the same meaning as in the relevant rules relating to retiring person.

(4) Every order of the appointing authority requiring a Government servant to retire forthwith under the first proviso to clause (d) of this rule shall have effect from the afternoon of the date of its issue, provided that if after the date of its issue, the Government servant concerned, *bona fide* and in ignorance of that order, performs the duties of his office his acts shall be deemed to be valid notwithstanding the fact of his having earlier retired."

3. Articles 465 and 465-A of the Civil Service Regulations, as adopted for application in Uttar Pradesh are hereby rescinded, except as respects things done or omitted to be done thereunder before the commencement of this Act.

4. (1) Where any order has been passed or purported to be passed on or after November 1, 1973 under the first proviso to clause (i) of the said rule 56 or under note I to Article 465 or under note I to Article 465-A of the Civil Service Regulations requiring a Government servant to retire either without notice or on a notice for a period shorter than three months, such Government servant, if not already paid his pay for the whole or part of the said period of three months, as the case may be, shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances, if any, for

Rescission of Articles 465 and 465-A of Civil Service Regulations.

Applicability to orders issued before the commencement of Act.

the whole period of three months or, as the case may be, for the period by which the notice fell short of three months, at the rate at which he was drawing immediately before the date of such order.

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing in the said rule 56 or in the said Regulations or in any orders or instructions in that behalf shall be deemed to have ever required the actual payment of the Government servant's pay for the whole or part of the period of notice before or simultaneously with the retirement required by the order, and the failure to make such payment shall not have or be deemed ever to have had any effect on the validity of the order, any judgment, decree or order of any court to the contrary notwithstanding, and it shall be open to the State Government to apply to any court for review of any such judgment, decree or order within three months from the commencement of this Act.

(3) The Appointment (3) Department Government order no. 5/2/1973, dated November 2, 1973, shall be deemed to have been rescinded with effect from the same date, and no order of compulsory retirement shall be deemed to be or ever to have been invalid on the ground of any inconsistency with the aforesaid Government order.

and 5. (1) The Uttar Pradesh Fundamental Rule 56 (Amendment and Validation) Ordinance, 1975 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 14 of 1975.

(2) Notwithstanding such repeal any thing done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act had come into force on June 7, 1975.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।